कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ

पत्रांकःन–42 / एफएस–18

दिनॉक सितम्बर, 25 ,2018

सेवा में,

प्रबंधक,
एस0एस0आर0 एकेडमी,
नरायणपुरी रधुनाथ खेडा,निगोहॉ लखनऊ,

विषयः– एस0एस0आर0 एकेडमी, नरायणपुरी रधुनाथ खेडा,निगोहॉ, लखनऊ, के शैक्षिक भवन के अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में ।

कृपया अपने पत्र दिनॉक 22.09.2018 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो उपरोक्त विषयक है।

कृपया उक्त विषयक शैक्षिक भवन का इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनॉक 09.10.2015 ,एन0बी0सी0–2016 व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से निरीक्षण / परीक्षण अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0,लखनऊ द्वारा कराया गया जिनकी आख्या के अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश में आये :–

भवन की संरचनाः–

1– कुल भूखण्ड एरिया 557.40 वर्ग मीटर है ।

2– विद्यालय भवन के भूतल का कबर्ड एरिया 167.22 वर्ग मीटर है ।

3– विद्यालय भवन के प्रथम तल का कर्बड एरिया 167.22 वर्ग मीटर है।

4– विद्यालय भवन की उॅचाई 06.50 मीटर है ।

भवन का अधिभोग एवॅ हेजार्डस श्रेणीः–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0–2016 में शैक्षिक श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है ।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1– **पहुॅच मार्ग** :–विद्यालय भवन तक पहुॅच मार्ग 09 मीटर चौडा है ,विद्यालय भवन तक अग्निशमन के वाहन जा सकते है ।

2– **निकास मार्गः**– विद्यालय भवन में प्रथम तल पर जाने हेतु 01.50 मीटर चौडाई का एक स्टेयरकेश निर्मित है ।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था :–

01– **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूसर):**–विद्यालय भवन में फायर एक्सटिग्यूसर आई0एस0–2190–2010 के अनुसार कार्यशील दशा में उपलब्ध पाया गया ।

02– विद्यालय भवन में 04 सैण्ड बकेट जिसमें 02 बालू व 02 पानी से भरा रखा गया है।

03 विद्यालय भवन के सदृष्य स्थल पर फायर स्टेशनो का टेलीफोन नम्बर का बोर्ड लगाया गया है।

04– प्रश्नगत विद्यालय भवन एन0बी0सी0–2016, पार्ट–04,फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के प्रस्तरः1.2 से आच्छादित नही है ।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0 के संस्तुति के आधार पर एस0एस0आर0 एकेडमी, नरायणपुरी रधुनाथ खेडा,निगोहॉ,लखनऊ के स्कूल भवन में उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों के कार्यशीलता का प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है :–

01– भवन में अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा जो भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के रख रखाव एवं आवश्यकता पडने पर उनके संचालन एवं प्रयोग के प्रति जिम्मेदार होगा।

02– भवन में शिक्षारत छात्र / छात्रायें व शिक्षक / शिक्षिकाओं के लिए इमरजेंसी इवैकुएशन प्लान बनाया जाय तथा उसी के अनुसार भवन में कार्यरत कर्मियों को प्रत्येक तीन माह में एक बार इवैकुएशन /मॉक ड्रिल करायी जाय ।

03– भवन प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाए रखने हेतु मेन्टीनेन्सी सेड्यूल बनाया जाय तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाए ,भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली का दैनिक ,साप्ताहिक ,पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक ,अर्द्ध वार्षिक,वार्षिक मेंन्टीनेंस किया जाय तथा अलग–अलग रजिस्टर बनाकर उसमें अंकित कर रिकार्ड रखा जाय ।

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
लखनऊ

04– किसी प्रकार का अतिरिक्त निमार्ण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा ।

05– भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अबिलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए तथा पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाए ।

06– निर्धारित अवधि में नियमानुसार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा , फायर प्रिंवेंसन तथा फायर प्रोटेक्सन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा ।

07– भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण,सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबंधक/स्वामी की होगी।

08– विद्यालय भवन मे विस्फोटक पदार्थो का भण्डारण नही किया जाएगा।

09– विद्यालय भवन मे मिड डे मील आदि भूतल पर व निकास मार्गो से दूर टीन सेड अथवा पक्कें निर्माण मे ही किया जाए।

10– उक्त शर्तो/ निर्देशों का उल्लघंन होने पर निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा ।

(विजय कुमार सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ,

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
लखनऊ

प्रतिलिपि

01–अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित है ।